वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 29.07.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण,अमर उजाला, हिन्दुस्तान, " समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण –दि0 29.07.2024

22 दिन में 170 अवैध निर्माण चिह्नित, 61 किए गए सील

- वीडीए बोर्ड में अवैध निर्माण पर सवाल उठने पर हुई कार्रवाई
- चार निर्माण ध्वस्त, 46 अवैध प्लाटिंग तोड़ी, चार पर मुकदमा

वाराणसी विकास प्राधिकरण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में उठे अवैध निर्माण को लेकर प्रवर्तन कार्रवाई में कई मकानों को सील करने के साथ तोड़ा गया। कई के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि चार जुलाई को वीडीए बोर्ड की बैठक में नामित सदस्यों ने शहर में अवैध निर्माण होने पर सवाल उठाया था। चार जुलाई से अब तक 170 अवैध निर्माण चिह्नित करने के साथ मौके पर बंद कराए गए।

वहीं 61 अवैध निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया। बताया कि जोन एक के सिकरौल वार्ड में पुरूषोत्तम अग्रवाल का अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। फारूख व जाफर के दो व्यवसायिक होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेश को क्षतिग्रस्त किया गया।

नगवां वार्ड के अवैध होटल बनाने पर राजेश जायसवाल के खिलाफ चितईपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी वार्ड में गायत्री देवी सील तोड़कर अवैध निर्माण कर रहीं थी, उनके खिलाफ मंडुवाडीह थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। मारुति नगर में अवैध प्लाटिंग पर गिरधारी पटेल के खिलाफ लंका थाने में केस दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि चार अवैध निर्माण ध्वस्त, चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 46 अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई हुई। वाराणसी विकास प्राधिकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

अमर उजाला–दि0 29.07.2024

2 होटलों के 90 कमरे तोड़ डाले लोहे की चादर से सील भी किया

पुलिस कस्टडी में सौंपे गए बनारस कोठी और रिवर पैलेस, 15 पुलिसकर्मी दे रहे पहरा

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। बनारस कोठी और रिवर पैलेस होटल को वीडीए ने सील कर पुलिस कस्टडी में दे दिया है। कैंट पुलिस की ओर से यहां पर 15 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। अब वीडीए अगली कार्रवाई के लिए शासन के आदेश का इंतजार कर रहा है। उधर, होटल मालिक भी विधि विशेषज्ञों से सलाह लेकर अगला कदम उठाएंगे।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार दोनों होटलों के 90 कमरों को तोड़ डाले साथ ही लोहे के चादर से सील कर दिया। इसके भीतर बाथरूम, कमरे, लॉबी, सीढ़ी को तोड़ा गया है। इस पर वीडीए की सील वाली पट्टी भी लगाई गई है। पूरा होटल सील करने के बाद पुलिस कस्टडी में दे दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार सावन के सोमवार के कारण अभी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सोमवार बाद आगे की कार्रवाई होगी।

बुद्ध विहार कॉलोनी में दोनों होटलों के प्लॉट को बगैर नक्शा पास कराए निर्माण कराया गया। यह निर्माण वाराणसी महायोजना-2031 के विपरीत है। इसके अलावा वरुणा नदी की ग्रीन बेल्ट से भी प्रभावित है। यहां स्वीकृत क्षेत्रफल से अधिक पर निर्माण, सेट बैक कवर किया गया। जी प्लस टू का आवासीय नक्शा पास कराके पांच तल के होटल का निर्माण कराया गया। मामले में शासन ने अन्नपूर्णा भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के आठ भूखंड का भू उपयोग, आवासीय से व्यावसायिक करने का प्रत्यावेदन 2019 में निरस्त किया था। पूर्व में इन दोनों होटलों का ध्वस्तीकरण आदेश पारित है।

रविवार को छावनी क्षेत्र में सील किया गया बनारस कोठी और होटल रिवर पैलेस। संवाद

24 दिन में 46 अवैध प्लॉटिंग और 4 अवैध निर्माण ध्वस्त, 4 एफआईआर, 170 को नोटिस

वीडीए ने 24 दिन में 184.76 हेक्टेयर के 46 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त करवाई। 4 अवैध निर्माण ध्वस्त कराने के साथ 4 एफआईआर कराई गई। इसके साथ लगातार कार्रवाई जारी है। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार 04 से 27 जुलाई के बीच वीडीए सीमा के पांच जोन में कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश पर वाराणसी विकास प्राधिकरण ने प्रवर्तन की कार्रवाई तेज कर दी है। 61 अवैध निर्माण सील करने के साथ ही 170 अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस दिया गया है। वीडीए उपाध्यक्ष ने निर्माण करने से पूर्व वीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराने की अपील की है। मातहतों को हिदायत दी कि क्षेत्र में निगरानी बढ़ाएं ताकि अवैध निर्माण न होने पाए।

कार्रवाई से सहमे दूसरे अवैध होटल संचालक

बुद्ध विहार कॉलोनी में वीडीए की ओर से दो होटलों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से दूसरे होटल संचालक सहमे हुए हैं। उन्हें भी होटल टूटने का डर सता रहा है। दरअसल यह कॉलोनी आवासीय है, लेकिन 24 सालों के भीतर पूरा इलाका कॉमर्शियल हो गया है। यहां 27 होटल चल रहे हैं।

नगर निगम सर्वे कर अवैध होटल और बरात घर खोजेगा : नगर निगम ने अब तक 1146 होटल और 199 बरात घर का सर्वे किया है। मेयर अशोक कुमार तिवारी ने दोबारा सर्वे कराने को कहा है। इसमें पार्षदों का भी सहयोग लेने को कहा है।

हिन्दुस्तान–दि0 29.07.2024

24 दिनों में सील हुए 61 निर्माण, 170 हैं चिह्नित

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने 24 दिनों में 170 नए अवैध निर्माण चिह्नित किए। उनमें 61 अवैध निर्माण सील हुए हैं। चार जुलाई को वीडीए बोर्ड की बैठक में अवैध निर्माण पर कमिश्नर ने असंतोष जताया था। उसके बाद कार्रवाई में तेजी आई है। नगवा वार्ड में होटल व्यवसायी के खिलाफ चितईपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी वार्ड में सील तोड़कर अवैध निर्माण और मारुतिनगर में अवैध प्लाटिंग के मामले में केस दर्ज हुआ। इस अवधि में 46 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 29.07.2024

ज्यादातर का निर्माण हुआ है आवासीय नक्शे के विपरीत, कुछ वरुणा के ग्रीन बेल्ट में भी बने हैं, तैयार की जा रही है सूची

बुद्ध विहार कॉलोनी के 25 और होटलों पर वीडीए की टेढ़ी नजर

होटलों पर हथौड़ा

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वरुणा किनारे की बुद्ध विहार कॉलोनी में मानकों के विपरीत सिर्फ होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेस का ही निर्माण नहीं हुआ है बल्कि इस कॉलोनी में 25 से 30 ऐसे होटल और गेस्ट हाउस हैं। उन्होंने आवासीय निर्माण के लिए मानचित्र पास कराया जबकि वर्षों से भू-उपयोग व्यावसायिक कर रहे हैं। उनमें कुछ होटल वरुणा के ग्रीन बेल्ट में भी बनाए गए हैं। अब वीडीए सभी की कुंडली खंगाल रहा है। दिन-प्रतिदिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

बुद्ध विहार कॉलोनी का भू-उपयोग आवासीय है। यहां वाणिज्यिक भवन नहीं बन सकते हैं। मगर कॉलोनी में 25 वर्षों के दौरान होटलों का खूब निर्माण हुआ। इन होटलों से वाणिज्यिक गृहकर, जलकर भी वसूला जाता है।

आंखें मूंदे रहे अफसर: बनारस कोठी का प्रकरण आठ साल पुराना है। इस कॉलोनी का भू-उपयोग वीडीए अधिकारियों को पहले से पता है। लेकिन एक मामला सामने आने के बाद भी अधिकारियों ने होटलों का निर्माण सड़कने से रोके दिया। सुविधा शुल्क लेकर अपनी आंखें बंद कर लीं।

तत्कालीन अधिकारियों पर कार्रवाई कब: दो होटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बाद यह चर्चा में है कि वीडीए के तत्कालीन जोनल अधिकारी, एई, जेई समेत उन अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी जिनके कार्यकाल में बुद्ध विहार कॉलोनी में होटल और गेस्ट हाउस बनते गए? इस सवाल का जवाब देने से अधिकारी फिलहाल कतरा रहे हैं।

होटल बनारस कोठी के ध्वस्तीकरण कार्रवाई के बाद पड़ा मलबा।

> बुद्ध विहार कॉलोनी में वाणिज्यिक भवनों का संचालन नहीं हो सकता है। इस आधार पर सभी होटलों की सूची तैयार कराई जाएगी।
>
> डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा, वीडीए सचिव

25 वर्षों के दौरान धड़ल्ले से हुए हैं अवैध निर्माण

08 साल पहले भी वीडीए के अफसरों की आंखें मूंदी रहीं

कॉलोनी में पूरे दिन पसरा रहा सन्नाटा

वाराणसी। स्थान- बुद्धविहार कॉलोनी। दिन- रविवार, समय- सुबह 11.30 बजे। शनिवार को जहां जिला प्रशासन, वीडीए के अमले के साथ अनगिनत लोग मौजूद थे, दो होटलों को ध्वस्त किया जा रहा था, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। ध्वस्तीकरण के बाद सील किए गए होटल के बाहर उनके मालिक कुर्सी लगाए बैठे हैं। उनके कुछ शुभचिंतक कुर्सी पर तो कुछ सामने, अगल-बगल खड़े हैं। होटल मालिक अपनी बरसों की मेहनतों को निहार रहे हैं। इस कार्रवाई को वीडीए की मनमानी बता रहे हैं। शुभचिंतक ढाढ़स बंधा रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी आगंतुकों की गतिविधियों पर नजर गड़ाए हुए हैं। उनसे भी होटल मालिक अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं।

सीएम ने रिपोर्ट तलब की, पीएमओ ने ली जानकारी

- योगी ने वीडियो वायरल होने के बाद अफसरों से की चर्चा
- होटल संचालक भी भेजेंगे सभी संबंधित दस्तावेज

वाराणसी, विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री कार्यालय ने वीडियो की बुद्ध विहार कॉलोनी में अवैध होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेस के खिलाफ शनिवार को वीडीए की कार्रवाई और एडीएम सिटी प्रकरण की रिपोर्ट तलब की है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने टेलीफोन पर घटना की जानकारी ली है। वीडीए ने कार्रवाई से सम्बंधित सभी दस्तावेज, फोटो और वीडियो भेजा गया है।

सूत्रों के मुताबिक वीडीए की कार्रवाई और एडीएम सिटी का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेते हुए शासन व जनपद के उच्चाधिकारियों से चर्चा की है। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने 2002 से अब तक हुई कार्रवाई और विभागों की भूमिका, ग्रीन बेल्ट से पहले का निर्माण, ग्रीन बेल्ट, आवासीय नक्शा के बाद 2016 और 2018 में वीडीए की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

वहीं, होटल संचालक की ओर से वीडीए, आयुक्त न्यायालय और हाईकोर्ट में दाखिल अपील से सम्बंधित दस्तावेज भी भेजने की तैयारी है। होटल को बिजली एवं पेयजल के कनेक्शन, हाउस टैक्स का विवरण दिया गया है। इसके अलावा पक्का किराए आवास के होटल निर्माण और नक्शा की जानकारी भी मांगी गई है। उधर, कमिश्नर और डीएम ने एडीएम सिटी से घटना की जानकारी ली।

'भाजपा नेताओं के अवैध निर्माण भी ढहाए जाएं'

वाराणसी। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को बुद्ध विहार कॉलोनी में बनारस कोठी के होटल मालिकों-सुधीर और फारूख से मुलाकात की। महानगर अध्यक्ष राघवेन्द्र चौबे ने कहा कि दोनों होटलों के पास भाजपा नेताओं ने भी अवैध निर्माण कराये हैं। वीडीए को भाजी पर कार्रवाई करनी चाहिए अन्यथा इसे राजनीतिक कार्रवाई मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि होटल मालिकों के साथ प्रशासन ने अन्याय किया है, कांग्रेस पीड़ित लोगों के साथ है। इस दौरान प्रदेश सचिव फसाहत हुसैन बाबू, अशोक सिंह, हसन मेंहदी कब्बन, रोहित दुबे, परवेज खान, अब्दुल हमीद डोडे, सतीश यादव आदि मौजूद थे।